कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– 2112 / 14–1, बरेली, दिनांक, 07 / दिसम्बर / 2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय – जनपद बदायूँ में मेरठ–बदायूँ मार्ग (राज्यमार्ग संख्या–18) के कि0मी0 163 से 208 (400) तक के भाग में दो लैन से चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु मार्ग के दोनों ओर पडने वाले वृक्षों के पातन एवं 64.60 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या– 1482/बदायूँ/23705/2017 दिनॉक 01.12.2017.

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ ने अपनी पत्र संख्या– 1606/14–1 दिनॉक 06.12.2017 से अवगत कराया है कि विषयक प्रकरण में पूर्व में प्रस्तावित वृक्षों की संख्या 10647 थी जो कि पुनः संशोधित आनलाइन पार्ट–2 में अपलोड वृक्षों की संख्या– 11620 दर्शित है, जबकि 11256 वृक्ष अंकित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुल प्रस्तावित वृक्षों की संख्या– 11256 है। अपलोड वृक्षों की संख्या– 11620 हुयी थी, उसे संशोधित कर 11256 कर दिया गया है। पूर्व के प्रस्ताव में एवं वर्तमान के प्रस्ताव में वृक्षों की संख्या में वृद्वि का कारण तत्समय 0–30 व्यास वर्ग में ऊपर वृद्वि होने के कारण परिवर्तन हुआ है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में किमी0 163 से 208(400) के मध्य 28 है0 विशिष्ट वृक्षारोपण भी समाहित है, जिसमें 0–30 व्यास वर्ग में कुल पौधों की संख्या– 14875 है, जिसका कि0मी0 वार प्रजातिवार विवरण प्रस्ताव में सलग्न कर दिया गया है, जो कि अपलोड नही है, क्योंकि उसमें 0–30 व्यास वर्ग के पौधों की अपलोडिंग नही होती है। इस प्रकार से प्रश्नगत प्रकरण में 11256 वृक्ष एवं 14875 पौधे प्रभावित है, जिसका विदोहन आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र से इंगित आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–2 के क्रम में संशोधित पावर आफ अटार्नी को आनलाइन पार्ट–1 के Additional Information Detail पर अपलोड नही किया गया है। अपलोड कराने का कष्ट करें।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु के क्रम में संशोधित पावर आफ अटार्नी को आनलाइन पार्ट–1 के Additional Information Detail पर अपलोड कर दिया गया है।
2	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–9 के क्रम में वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नही किया गया है।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–9 के क्रम में वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को ऑनलाइन पार्ट– 2 पर अपलोड कर दिया गया है।

3	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–10 के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा पार्ट– 5 पर की गयी संस्तुति को आन लाइन पार्ट–2 पर अपलोड नही किया गया है। अपलोड करने का कष्ट करें।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–10 के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा पार्ट–5 पर की गयी संस्तुति को आन लाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर दिया गया है।
4	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–12 के क्रम में परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई सेचुरी/वन्यजीव विहार न होने सम्बन्धी अभिलेख जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–39 पर संलग्न है, मलवा निस्तारण योजना जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–81 पर संलग्न है, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–40 पर संलग्न है, को आनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नही किया गया है, अपलोड करें। उक्त के अतिरिक्त शुद्व वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्वता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख नही है, उक्त अंश का समावेश करते हुये संशोधित वचनबद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें व ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–12 के क्रम में परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंचुरी/वन्यजीव विहार न होने सम्बन्धी अभिलेख जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–39 पर संलग्न है, मलवा निस्तारण योजना जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–81 पर संलग्न है, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–40 पर संलग्न है, को आनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर दिया गया हैं। उक्त के अतिरिक्त शुद्व वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्वता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख कर दिया गया है, उक्त अंश का समावेश करते हुये संशोधित वचनबद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है एवं ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(वी0के0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– (1)/14–1, दिनॉकित।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ को उनकी पत्र संख्या– 1606/14–1 दिनॉक 06.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, बदायूँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।